। ओर अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासर ने वकालतनाम मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर द से सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 9 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल फ़ोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने व तेवादी संख्या 9 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता ईं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र वादी पूर्णाराम के प्रस्तुत किये व नकल मबंदी सम्वत् 2070–73 मौजा गोठ के खाता संख्या 95 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर क्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली स्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को हराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने दपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो था साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद था प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा द का विरोध नही किया गया है। वादी पूर्णाराम सबसे छोटा भाई होने से सवंश राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज होने से वंचित रह गया एवं उपरोक्त भूमि अविभाजित भूमि है जिसमें प्रत्येक सरे में प्रत्येक पक्षकार का हक हिस्सा निहित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

मौजा गोठ के खसरा नम्बर 98 रकबा 6.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 242 रकबा 8.02 बीघा में वादी पूर्णराम को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के साथ सहखतेदार घोषित किया जाता है।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 29.3.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner